प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4041 /2003

याचिकाकर्ता जी. आर. निराला

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

याचिकाकर्ता की ओर से श्री प्रफुल्ल भारत, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से श्री अजय द्विवेदी, पैनल अधिवक्ता

उत्तरवादीगण क्रमांक 3 व 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश

(8 मई 2006)

न्यायालय का यह आदेश न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा पारित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. वर्तमान याचिका में दिनांक 1.10.2003 के आदेश (अनुलग्नक पी/15) को चुनौती दी गई है जिसके अन्तर्गत उत्तरवादी क्रमांक 4 श्री एम.एम. खरवार को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया है। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उत्तरवादी क्रमांक 4, जो याचिकाकर्ता से अत्यधिक कनिष्ठ है, को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 द्वारा याचिकाकर्ता के उचित दावे को अनदेखा किया गया है, तथा याचिकाकर्ता को वरिष्ठता सूची में उचित स्थान नहीं दिया गया है।

2. वर्तमान याचिका के अवधारणार्थ आवश्यक संक्षिप्त निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता दिनांक 29.3.1985 से तदर्थ रुप से सर्वेक्षक के पद पर कार्यरत था। दिनांक 15.7.1991 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) द्वारा याचिकाकर्ता को अन्य व्यक्तियों सहित स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 1 पर और उत्तरवादी क्रमांक 4 का नाम क्रम संख्या 3 पर रखा गया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 1.4.1995 की स्थिति को दर्शाते हुए पदक्रम सूची (अनुलग्नक पी/2) प्रस्तुत की है, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 8 पर और उत्तरवादी क्रमांक 4 का नाम क्रम संख्या 10 पर रखा गया था। पदक्रम सूची में उल्लिखित याचिकाकर्ता व उत्तरवादी क्रमांक 4 का विवरण निम्नानुसार था:

नाम	अर्हता	प्रारंभिक नियुक्ति का दिनांक	संवर्ग में नियुक्ति का दिनांक	स्थायीकरण का दिनांक
श्री जी.आर. निराला	डिप्लोमा	29.3.1985	5.8.1991	–
श्री एम.एम. खरवार	डिप्लोमा	4.4.1985	22.7.1991	–

3. चूंकि याचिकाकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका, अतः वर्ष 1996 की पदक्रम सूची (अनुलग्नक पी/3) में याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 45 पर तथा वर्ष 1998 की पदक्रम सूची (अनुलग्नक पी/4) में उसका नाम क्रम संख्या 49 पर रखा गया। इन दोनों पदक्रम सूचियों में उत्तरवादी क्रमांक 4 का नाम क्रम संख्या 6 पर रखा गया।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत का तर्क है कि याचिकाकर्ता तथा उत्तरवादी क्रमांक 4 की नियुक्ति इस शर्त के साथ की गई थी कि अधिकारियों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरांत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो कि मध्य प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय (विभागीय परीक्षा) नियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार है। आगे यह तर्क दिया गया कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित तीन वर्ष की अवधि को नियम 2 के उपनियम (3) द्वारा आदेश (अनुलग्नक पी/6) द्वारा विस्तारित किया गया था। अतः याचिकाकर्ता को नियम 1987 के नियम 5 (1) (क) के अनुसार प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि अर्थात् 15.7.1991 से वरिष्ठता प्रदान की जाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. उत्तरवादीगण क्रमांक 1 व 2 की ओर से उपस्थित विदुषी अधिवक्ता श्रीमती अंजू आहूजा का तर्क है कि याचिकाकर्ता तीन वर्ष की निर्धारित अवधि में आवश्यक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा है। याचिकाकर्ता को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु नियम 2 के उपनियम (3) के अधीन कभी भी समय विस्तार नहीं दिया गया। अतः दिनांक 2.9.1997 के आदेश (अनुलग्नक आर/2) द्वारा दिनांक 1.4.1997 से सर्वेक्षक के पद पर याचिकाकर्ता की स्थायीकरण की तिथि विधिसम्मत एवं वैध थी। आदेश (अनुलग्नक पी/6) निर्धारित अवधि विस्तार प्रदान करने वाला आदेश नहीं है, अपितु यह नियम 1987 के नियम 5 (1) एवं (2) के प्रावधानों के लागू होने की स्थिति में छूट प्रदान करता है।

6. सूचना की तामीली के बावजूद उत्तरवादी क्रमांक 3 व 4 कोई भी उपस्थित नहीं और न ही उनकी ओर से कोई प्रतिनिधित्व हुआ।

7. याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं संलग्न अभिलेखों तथा उत्तरवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जबावदावा का परिशीलन करने के उपरांत, यह स्पष्ट है कि आदेश (अनुलग्नक पी/6) में नियम 2 के उपनियम (3) के अधीन विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की निर्धारित अवधि के विस्तार का प्रावधान नहीं करता। उक्त आदेश नियम 1987 के

नियम 5 (1) व (2) के प्रावधानों की प्रयोज्यता हेतु छूट प्रदान करता है, जो यह प्रावधान करता है कि यदि कोई शासकीय सेवक निर्धारित अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, तो उसे उसके पद पर स्थायी नहीं किया जाएगा और/या उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। नियम 1987 के नियम 5 के उपनियम (2) में बर्खास्तगी का प्रावधान है। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के प्रकरण में सेवा बहाली अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के प्रकरण में पूर्व पद पर बहाली। आदेश (अनुलग्नक पी/6) द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 3 ने नियम 1987 के नियम 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 1987 के नियम 5 के उपनियम (1) और (2) के प्रावधानों की प्रयोज्यता में छूट दी है। उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा नियम 7 के अधीन दी गई छूट केवल इस सीमा तक है कि याचिकाकर्ता को निर्धारित अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने पर सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाएगा।

8. नियम 1987 के नियम 2 के उपनियम (3), नियम 5 तथा नियम 7 नीचे उद्धृत हैं; –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"2. विभागीय परीक्षाएं:

(3) राज्य शासन या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी प्रकरण हो, विशिष्ट प्रकरणों में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से उप–नियम (1) या (2) में निर्धारित अवधि को दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकता है और संबंधित अधिकारी/सेवक को विस्तारित अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

"5. परीक्षा उत्तीर्ण न करने के परिणाम:

(1) कोई शासकीय सेवक जिसने निर्धारित अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उसे निम्नलिखित हेतु हकदार नहीं होगा:–

(क) वर्तमान पद पर स्थायीकरण, या

(ख) उच्च पद पर पदोन्नति,

(2) कोई शासकीय सेवक जो इन नियमों के लागू होने के पश्चात नियुक्त किया गया है और जो निर्धारित अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, जिसमें परीक्षा का विस्तार भी सम्मिलित है, तो वह निम्न हेतु उत्तरदायी होगा–

(i) उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हुआ था, या

(ii) यदि वह पदोन्नति द्वारा नियुक्त हुआ था तो उसे उसके पूर्ववर्ती पद पर प्रतिवर्तित किया जा सकता है,

(3) ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है और जिनके लिए नियम 2 के उपनियम (3) के अधीन अवधि विस्तारित की गई है, वे विस्तारित अवधि के दौरान वेतन वृद्धि के पात्र नहीं होंगे, जब तक कि वे परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते।

परंतु कि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर शासकीय सेवक का वेतन उस स्तर पर निर्धारित किया जाएगा जिस पर वह पहुंचता यदि उसकी वेतन वृद्धि रोकी न जाती, जो परीक्षा पूर्ण होने की अगामी तारीख से प्रभावशील होगी।

"7. राज्य शासन उचित एवं पर्याप्त कारणों से इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट प्रदान कर सकती है।"

9. इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि याचिकाकर्ता निर्धारित अवधि अर्थात तीन वर्ष और विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, दो वर्ष के भीतर निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका और इस प्रकार दिनांक 1.4.1997 से स्थायीकरण प्रदान करना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार, याचिकाकर्ता को नियुक्ति की तिथि के आधार पर पश्चातवर्ती वरिष्ठता सूची में उत्तरवादी क्रमांक 4 से नीचे रखा जाना पूर्णतः वैध है और दिनांक 1.10.2003 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/15) द्वारा सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) के पद पर पश्चातवर्ती पदोन्नति भी वैध व विधिमान्य है। याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 4 के विवरण, जो पश्चातवर्ती क्रमोन्नति सूची में उल्लिखित हैं, जो निम्नानुसार हैं, उपरोक्त निष्कर्ष का समर्थन करते हैं:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नाम	अर्हता	प्रारंभिक नियुक्ति का दिनांक	संवर्ग में नियुक्ति का दिनांक	स्थायीकरण का दिनांक
श्री जी.आर. निराला	डिप्लोमा	20.3.1985	5.8.1991	1.4.1997
श्री एम.एम. खरवार	डिप्लोमा	4.4.1985	22.7.1991	1.1.1995

10. **ओम प्रकाश श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य व एक अन्य** {(2005) 11 एससीसी 488} के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12 (क) पर विचार करते हुए पैरा 10 तथा 11 में निम्नानुसार अवधारित किया :–

"10. xxxxx जैसा कि एम.पी. चंदोरिया प्रकरण में उल्लेख किया गया था, जब तक परिवीक्षा अवधि पूर्ण नहीं हो जाती है, और उसे पद पर स्थायी नहीं कर दिया जाता है, सेवक परिवीक्षा के सफलतापूर्वक

पूरा होने और परिवीक्षा अवधि पूरी होने की घोषणा से पहले निर्धारित परीक्षणों या सहभागिताओं को पास करने पर सेवा का सदस्य नहीं बनता है। केवल एक वर्ष की अवधि पूरी होने से व्यक्ति सेवा का सदस्य होने का हकदार नहीं हो जाता है। वह परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर अस्थायी सेवा में बना रहता है। नियुक्ति प्राधिकारी उसे किसी लंबित उपलब्ध पद पर स्थायी कर सकता है या उसे अर्ध–स्थायी दर्जा प्रदान कर सकता है। जब तक वह विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है, परिवीक्षा पूरी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है एवं समस्त व्यावहारिक प्रयोजनार्थ सेवक अस्थायी सेवा में बना रहता है। xxxxx

11. एम.पी. चंदोरिया प्रकरण के सिद्धांतों को दोहराते हुए रामकिंकर गुप्ता प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है तो नियुक्ति प्राधिकारी को लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित स्तर से निम्न स्तर पर वरिष्ठता प्रदान करने का अधिकार है। ऐसा व्यक्ति जो न तो स्थायी है, न ही उप–नियम (6) के अनुसार उसके पक्ष में कोई प्रमाण–पत्र है और न ही उप–नियम (4) के अंतर्गत सेवामुक्त किया गया है, वह नियम 8 के उप–नियम (7) में निर्दिष्ट अधिकारियों की श्रेणी में आएगा। दूसरे शब्दों में, उसे परिवीक्षा अवधि समाप्त होने की तिथि से अस्थायी शासकीय सेवक माना जाएगा। यह स्थिति ऐसे अधिकारी के प्रकरण में, जो विस्तारित परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करता है, भिन्न है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **मोहंद लाल व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य द्वाराः सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग, शासकीय सचिवालय, शिमला–2 व अन्य** {(1997) 4 एससीसी 416} के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:–

> "4. xxxxx ईश्वरी कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रकरण में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दो वर्षों के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण की और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्थायी हुए, उन्हें पदभार ग्रहण करने की संबंधित तिथियों से वरिष्ठता मिलेगी और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि नियुक्ति की तिथि से संबंधित होगी। परंतु जिन्होंने उक्त दो वर्षों के पश्चात परीक्षा उत्तीर्ण की, उन्हें उत्तीर्ण होने की तिथि से वरिष्ठता मिलेगी और वे उन अभ्यर्थियों से कनिष्ठ होंगे जिन्होंने दो वर्षों के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण की। xxxxxx"

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस प्रकरण **जगदीश कुमार व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य (2005 एआईआर एससीडब्लू 6431)** का अवलंब लिया गया है, वह वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में निर्धारित अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने का पर्याप्त अवसर था, तथा याचिकाकर्ता निर्धारित तीन वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा है, तथा इसके उपरांत भी यदि यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता को दो वर्ष की विस्तारित अवधि दी गई थी, तो भी याचिकाकर्ता विस्तारित अवधि के भीतर विभागीय

परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। **जगदीश कुमार व अन्य** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अनुपात वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

13. उपर्युक्त कारणों से, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता का नाम नियत करना उचित व उपयुक्त है। उत्तरवादी क्रमांक 4 की वरिष्ठता के आधार पर सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) के पद पर पदोन्नति भी उचित एवं वैध है। तदनुसार, यह याचिका असफल होती है एवं खारिज की जाती है। प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, वाद–व्यय के विषय में कोई आदेश नहीं।

सही/–

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By ; Gangadhar Rajput